प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश)

दांडिक अपील क्र. 229/2004

सुधराम

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

दिनांक 07/05/2012 को सूचीबद्ध करे।

सही/-

आर. एस. शर्मा,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीश)

दांडिक अपील क्र. 229/2004

अपीलार्थी सुधराम, पिता महेश राम, उम्र लगभग 40 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी केरता, थाना प्रतापपुर, जिला सरगुजा (**छ.ग**)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित

अपीलार्थी के लिए : **श्री जे. के. शास्त्री, अधिवक्ता**

प्रत्यर्थी/ राज्य के लिए : **श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता एवं श्री आर. आर. सिन्हा पैनल अधिवक्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।</u>

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 07/05/2012 को पारित)

1. यह अपील द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) सूरजपुर के सत्र प्रकरण क्र. 196/2003 में दिए गए आदेश दिनांक 24-2-2004 के विरुद्ध है। इस आदेश के तहत, आरोपी/अपीलार्थी सुधराम को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दंडित किया गया और सभी सज़ाएँ एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है:

दोषसिद्ध	सजा
धारा 376(1) भा.द.वि	7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास और भुगतना होगा।
धारा 450 भा.द.वि	5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास और भुगतना होगा।

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, इस प्रकार है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) (भारतीय दंड संहिता के धारा 228-अ के अंतर्गत एवं पंजाब राज्य विरुद्ध रामदेव सिंह, (2004) 1 एससीसी 421, भूपिंदर शर्मा विरुद्ध एच.पी राज्य, 2004 क्रिमिनल.एल.जे 1 (एस. सी) एवं कर्नाटक राज्य विरुद्ध पुट्टाराजा, (2004) 1 एस सी सी 475 के दृष्टिगत, अभियोक्त्री के नाम को उल्लेख नहीं किया जा रहा है) केर्ता गाँव में रहती थी। दिनांक 12-2-2003 को, उसका पति किशुन डिपाडीह में एक बाबा के पास गया था। दिनांक 13-2-2003 को, अभियोक्त्री अपने घर पर अकेली थी और उस तारीख को, शाम को, वह खाना बनाने के बाद, खाना खाने की तैयारी कर रही थी। रात करीब 8-9 बजे उसने घर का दरवाज़ा धक्का देकर पास किया जो बंद हालत में था, लेकिन अंदर से बंद नहीं किया। उस समय, अपीलार्थी ने दरवाज़ा खोला और घर में घुस गया। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को दरवाज़े के पास गिरा दिया, उसकी साड़ी से उसका मुँह बंद कर दिया, उसकी साड़ी और पेटीकोट ऊपर उठा दिया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और भाग गया। रात ज़्यादा होने की वजह से अभियोक्त्री ने यह बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन उसने बड़ी सास बुधियारो (अ.सा.-7), बसंतलाल (अ.सा.-8) और शिवनाथ को यह बात बताई। शाम को उसका पति किशुन घर वापस आया। उसने उसे यह बात बताई। अगले दिन अभियोक्त्री साड़ी, पेटीकोट और चूड़ियाँ, जो उसने घटना के समय पहनी थीं, लेकर पुलिस थाना प्रतापपुर आई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र. डी-1) दर्ज कराई। अभियोक्त्री को प्र.पी.-13 के ज़रिए मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल, अंबिकापुर भेजा गया। डॉ. श्रीमती स्नेहलता (अ.सा.-10) ने अभियोक्त्री की जांच की और रिपोर्ट (प्र.पी-7) दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री के वजाइनल स्वैब की स्लाइड तैयार की गई और रासायनिक परीक्षण के लिए सुपुर्द किया गया। अभियोक्त्री से ज़ब्त की गई साड़ी और पेटीकोट को प्र.पी-14 के अनुसार, परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, अंबिकापुर भेजा गया। डॉ. श्रीमती स्नेहलता (अ.सा.-10) ने उन चीज़ों का परीक्षण किया और प्र.पी-8 द्वारा रिपोर्ट दिया। अपीलार्थी को प्र.पी-15 के अनुसार, मेडिकल परीक्षण के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्रतापपुर भेजा गया। डॉ. भीम सिंह वाइक (अ.सा.-9) ने अपीलार्थी का परीक्षण किया और रिपोर्ट दिया (प्र.पी-6)।

आगे के परीक्षण में, अपीलार्थी के अंडरवियर प्र.पी-2 के अनुसार जप्त किए गए। अभियोक्त्री के पेटीकोट, साड़ी, चूड़ियां प्र.पी-3 के अनुसार जप्त की गईं। घटनास्थल का नजरी नक्शा पटवारी रामाधार यादव (अ.सा.-6) ने प्र.पी-4 के अनुसार तैयार किया। बुधियारो (अ.सा.-7) का बयान पुलिस ने दर्ज किया। दूसरा नजरी नक्शा थाना प्रभारी विलियम टोप्पो (अ.सा.-11) ने प्र.पी.-10 के अनुसार तैयार किया। अपीलार्थी को प्र.पी.-16 के अनुसार गिरफ्तार किया गया। जप्त किए गए सामान साड़ी, पेटीकोट और वजाइनल स्वैब की स्लाइड को प्र.पी-18 के अनुसार परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को उपार्पित कर दिया, जहां से यह प्रकरण अंतरण पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), सूरजपुर को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण किया और अपीलार्थी को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया एवं दंडित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री जे.के. शास्त्री ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी-1) देर से दर्ज की गई थी। अतः, सही वजह न होने पर, अभियोजन की कहानी शक के दायरे में आती है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री के सबूत पक्के और भरोसेमंद नहीं हैं। अभियोक्त्री ने बलात्कार के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके सबूतों से भरोसा नहीं होता। अभियोक्त्री को कोई चोट नहीं आई। अतः, सिर्फ़ अभियोक्त्री की गवाही पर भरोसा करना सही नहीं है। अपीलार्थी अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त होने का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता ने सुधांशु शेखर साहू विरुद्ध उड़ीसा

राज्य, (2002) 10 एस सी सी 743, दिनेश जायसवाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 3 एस सी सी 232 और कृष्ण कुमार मलिक विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2011) 7 एस सी सी 130 का अवलंब किया।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी के उप शासकीय अधिवक्ता श्री संदीप यादव ने ऊपर दिए गए तर्कों का विरोध किया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

5. मैंने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और सत्र विचारण क्र. 196/2003 के अभिलेख का भी अवलोकन किया है। अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाना अभियोक्त्री (अ.सा.-1) की गवाही पर आधारित है।

6. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि उसने प्रतापपुर पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दर्ज कराई थी। उप निरीक्षक विलियम टोप्पो (अ.सा.-11) ने गवाही दी कि दिनांक 17-2-2003 को, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर, उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दर्ज की। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) को देखने से पता चलता है कि घटना की तारीख 13-2-2003 को लगभग 8-9 बजे रात थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दिनांक 17-2-2003 को लगभग 1:15 दोपहर में दर्ज की गई थी। ऐसा लगता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) घटना के 4 दिन बाद दर्ज की गई थी, जो देर से दर्ज की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. तुलसीदास कनोलकर विरुद्ध गोवा राज्य, (2003) 8 एस सी सी 590 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि:

> "5. हम सबसे पहले देरी के प्रश्न पर बात करेंगे। अजीब हालातों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को ठीक से स्पष्ट किया। किसी भी हालत में, जब बलात्कार के आरोप लगे हों तो देरी अपने आप में आरोपी के लिए कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को अभियोजन प्रकरण को खारिज करने और उसकी सच्चाई पर शक करने के लिए एक रस्मी तरीके के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां सिर्फ न्यायालय को यह देखने और सोचने पर मजबूर करता है कि देरी के लिए कोई वजह दी गई है या नहीं। एक बार जब यह वजह दे दी जाती है, तो न्यायालय को सिर्फ यह देखना होता है कि यह

वजह ठीक है या नहीं। अगर अभियोजन देरी को सही से स्पष्ट नहीं कर पाता है और इस देरी की वजह से अभियोजन के बयान में बढ़ा-चढ़ाकर या बढ़ा-चढ़ाकर बताने की संभावना है, तो यह एक ज़रूरी बात है। दूसरी ओर, देरी का ठीक-ठाक विवरण अभियोजन के प्रकरण के गलत होने या कमज़ोर होने की तर्क को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि असल हालात दिखाते हैं, अभियोक्त्री को उस मुसीबत के बारे में बिल्कुल पता नहीं था जो उसके साथ हुई थी। ऐसा होने पर, सिर्फ़ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी अभियोजन के बयान को किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं बनाती है।"

8. सोहन सिंह एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य, (2010) 1 एस सी सी 68 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"13. जब कोई हिंदू महिला बलात्कार जैसे जुर्म के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराती है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय करने से पहले कई प्रश्न ज़रूर सामने आते हैं। उस पीड़िता की हालत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जिस पर इस तरह का आपराधिक हमला हुआ हो। ज़ाहिर है, अभियोक्त्री भी बहुत मुश्किलों से गुज़री होगी और उसने इस पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात् ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय किया होगा। ठीक यही वजह लगती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में थोड़ी देर हुई। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस देरी को दोनों विचारण न्यायालयों ने पहले ही ठीक से स्पष्ट कर दिया है। अतः, हमें अब इस संबंध में अधिक कहने की ज़रूरत नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि घटना की तारीख को, उसका पति किशुन गांव डिपाडीह गया था, जहाँ से वह रविवार को घर लौटा। इसके पश्चात्, उसने प्रतापपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दर्ज कराई। बुधियारो (अ.सा.-7) ने गवाही दी कि किशुन 4-5 दिनों के लिए किसी बाबा के पास गया था। बसंतलाल (अ.सा.-8) ने गवाही दी कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का पति डिपाडीह गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) में यह लिखा है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का पति घर से बाहर था और उसके लौटने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दर्ज की गई थी।

10. अभियोक्त्री (अ.सा.-1), बुधियारो (अ.सा.-7) और बसंतलाल के साक्ष्य को देखते हुए (अ.सा.-8) से पता चलता है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के पति के मौजूद न होने की वजह से, घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दर्ज नहीं की जा सकी। जब अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का पति घर लौटा, तो अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने उसे घटना के बारे में बताया और उसके बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दर्ज की गई। इस प्रकरण में, हालात को देखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को ठीक से स्पष्ट गया है और यह देरी अभियोजन के प्रकरण के लिए घातक नहीं है।

11. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने बताया कि घटना की तारीख को, खाना बनाने के बाद, वह खाने की तैयारी कर रही थी। वह अपने घर पर अकेली थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। उसी समय, अपीलार्थी उसके घर में घुस आया। अपीलार्थी ने उसके हाथ पकड़े, उसे नीचे गिरा दिया, उसकी साड़ी ऊपर उठाई और उसकी लज्जा भंग की। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी ने कपड़े से उसका मुँह बंद कर दिया। इसके पश्चात्, अपीलार्थी भाग गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने आगे बताया कि उसने यह घटना अपनी बड़ी सास बुधियारो (अ.सा.-7), बसंतलाल (अ.सा.-8) और शिवनाथ को बताई। उसने आगे बताया कि उस समय उसका पति किशुन गाँव डीपाडीह गया हुआ था, जहाँ से वह रविवार को घर लौटा। इसके पश्चात्, उसने प्रतापपुर पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.डी.-1) दर्ज कराई।

13. मोहम्मद इमरान खान विरुद्ध राज्य (एनसीटी दिल्ली शासन), 2012 क्रि. एल. जे. 693 (एस सी) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> **"अभियोक्त्री का साक्ष्य:**
>
> 15. यह एक सामान्य विधि है कि एक महिला, जो बलात्कार की शिकार है, वह अपराध में साथी नहीं है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति की हवस का शिकार है। अभियोक्त्री एक घायल साक्षी से ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि उसे मानसिक क्षति पहुंची है। अतः, उसके साक्ष्य को साथी के साक्षियों की तरह शक के साथ परखने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे आगे 'साक्ष्य अधिनियम' कहा जाएगा), कहीं नहीं कहता कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी पुष्टि ज़रूरी बातों से न हो जाए। वह

बिना किसी शक के साक्ष्य अधिनियम के धारा 118 के तहत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना किसी घायल व्यक्ति या शारीरिक हिंसक को दिया जाता है। उसके साक्षियों की परीक्षण में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी किसी घायल शिकायतकर्ता या गवाह के प्रकरण में बरती जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर न्यायालय यह बात ध्यान में रखता है और उसे लगता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्यों पर कार्यवाही कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का दृष्टांत (ब) जैसा कोई विधि या अभ्यास शामिल नहीं है, जिसके लिए उसे संपोषण की ज़रूरत हो। अगर किसी वजह से न्यायालय अभियोक्त्री की गवाही पर पूरी तरह भरोसा करने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे सबूत देख सकता है जो उसकी गवाही को पक्का कर सके, लेकिन साथी के मामले में ज़रूरी मंडन के बिना। अगर प्रकरण के अभिलेख में मौजूद सभी हालात यह बताते हैं कि अभियोक्त्री के पास आरोपी को झूठा फंसाने का कोई मज़बूत आशय नहीं है, तो न्यायालय को आमतौर पर उसके साक्ष्य मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति जागरूक होना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों से निराकरण करते समय संवेदनशील होना चाहिए। बलात्कार सिर्फ़ एक शारीरिक हिंसा नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता की संपूर्ण व्यक्तित्व को भटका देता है। बलात्कारी उस बेबस औरत की आत्मा को गिरा देता है और अतः, पूरे प्रकरण के पृष्ठभूमि में अभियोक्त्री के साक्ष्य को माना जाना चाहिए और ऐसे प्रकरणों में, दूसरे गवाहों से भी पूछताछ न करना अभियोक्त्री के प्रकरण में कोई बड़ी कमी नहीं हो सकती, खासकर तब जब गवाहों ने जुर्म होते हुए नहीं देखा हो। (देखें: महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, ए आई आर 1990 एस सी 658 : (1990 क्रि. यू 889), उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध पप्पू @ यूनुस और अन्य, ए आई आर 2005 एस सी 1248 : (2004 ए आई आर एस सी डब्ल्यू 6563); और विजय @ चीनी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एस सी सी 191): (ए आई आर 2011 एस सी (क्रि) 940 : 2010 ए आई आर एस सी डब्ल्यू 5510)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस तरह, इस प्रकरण पर जो विधि बनता है, वह यह है कि अगर अभियोक्त्री का बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसे किसी पुष्टि की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय अभियोक्त्री के एक मात्र साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहरा सकता है।

14. इस प्रकरण में, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने खास तौर पर बताया कि घटना की तारीख को, रात करीब 8-9 बजे, वह अपने घर पर अकेली थी। अपीलार्थी उसके घर में घुसा, उसके हाथ पकड़े, उसे नीचे गिरा दिया, उसकी साड़ी ऊपर उठाई और उसकी शील भंग किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी ने कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद, अपीलार्थी भाग गया। उसने आगे बताया कि उसने यह घटना बुधियारो (अ.सा.-7) और बसंतलाल (अ.सा.-8) को बताई। बसंतलाल (अ.सा.-8) ने बताया कि शुक्रवार की सुबह, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) उसके पास आई और बताया कि अपीलार्थी ने उसकी शील भंग किया है।

15. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जे.के. शास्त्री ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने संभोग के बारे में नहीं बताया। उसने सिर्फ़ अपने शील भंग करने की बात कही, जो भा.द. वि की धारा 376 के तहत बलात्कार करने का अपराध गठित नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि यह सच है कि अपीलार्थी ने अपनी लुंगी और अंडरवियर नहीं खोले थे। यह कहना गलत है कि अपीलार्थी ने उसकी साड़ी और पेटीकोट ऊपर उठाया था, अतः, उसने गवाही दी कि अपीलार्थी ने उसका शील भंग किया।

17. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साक्ष्य को देखने पर, ऐसा लगता है कि उसने साफ़ तौर पर यह नहीं कहा है कि अपीलार्थी ने उसके साथ संबंध बनाए, सिवाय इसके कि उसने उसका शील भंग किया।

18. किसी अपराध को कारित करने का प्रयास एक ऐसा कार्य है, या कार्यों की एक श्रृंखला है, जो ज़रूरी तौर पर अपराध के होने की ओर ले जाती है, जब तक कि कुछ ऐसा न हो जाए, जिसे करने वाले ने न तो पहले से सोचा हो और न ही उसका आशय हो। प्रयास को एक ऐसा काम कहा जा सकता है जो किसी आपराधिक योजना को थोड़ा-बहुत पूरा करने के लिए किया जाता है, जो सिर्फ़ तैयारी से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन असल में पूरा होने से कम होता है, और जिसमें, पूरा न होने पर छोड़कर, मुख्य अपराध के सभी तत्व मौजूद होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रयास में अपराध कारित करने का आशय होता है, जो असल में

होने से कम होता है। अतः इसे ऐसे योजना किया जा सकता है जिसे अगर रोका न जाता तो प्रयास किए गए काम को पूरी तरह से पूरा कर दिया जाता। धारा 511 में दिए गए उदाहरण साफ़ तौर पर सिर्फ़ तैयारी और प्रयास के प्रकरणों के बीच फ़र्क करने के विधिक आशय को दिखाते हैं।

19. किसी आरोपी को बलात्कार करने के आशय का दोषी ठहराने के लिए, न्यायालय को यह पक्का करना होगा कि जब आरोपी ने अभियोक्त्री को पकड़ा, तो वह न सिर्फ़ अपनी हवस पूरी करना चाहता था, बल्कि उसका आशय हर हाल में ऐसा करने का था, और उसकी तरफ़ से किसी भी तरह के विरोध के बावजूद भी। गलत हमलों को अक्सर बलात्कार के प्रयासों में बदल दिया जाता है। इस परिणाम पर पहुँचने के लिए कि आरोपी का व्यवहार हर हाल में अपनी हवस पूरी करने के पक्के आशय का इशारा था, और हर तरह के विरोध के बावजूद, साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। आस-पास के हालात कई बार उस पहलू पर रोशनी डालते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस प्रकरण में, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने खास तौर पर यह बयान दिया कि आरोपी ने उसे गिरा दिया, उसकी साड़ी और पेटीकोट ऊपर उठा दिया और उसने आगे यह भी बयान दिया कि- और मेरे साथ आरोपी ने हाथापाई किया और बेइज्जती भी किया। मुझे आरोपी ने सुला दिया, मुंह में कपड़ा डाल दिया और बेइज्जती किया। मेरे साड़ी को ऊपर खिसका दिया और उसके बाद मेरे साथ बेइज्जती किया....."

21. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि अपीलार्थी ने ऊपर बताए गए पृष्ठभूमि में सभी प्रकरणों में संभोग करने का निर्णय किया था। यह नहीं कहा जा सकता कि यह अपराध बलात्कार करने के लिए धारा 376 भा.द.वि के तहत दोषी है। लेकिन, यह प्रकरण निश्चित रूप से एक महिला पर अभद्र हमले का है। धारा 354 भा.द.वि के तहत दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व यह हैं कि जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है वह एक महिला होनी चाहिए, और आरोपी ने उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया होगा, जिससे उसकी शील भंग हुआ।

22. इस प्रकरण मे, अपीलार्थी का काम बलात्कार करना नहीं था। उसका काम सिर्फ़ एक तैयारी थी। अतः, अपीलार्थी को धारा 376 भा.द.वि के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके अपराध के लिए धारा 354 भा.द.वि के तहत दंड दिया जा सकता है।

23. भारतीय दंड संहिता की धारा 450 इस तरह है:

> "450. आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के उद्देश्य से घर में घुसपैठ करना जो कोई भी आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध को अंजाम देने के उद्देश्य से घर में घुसपैठ करता है, उसे दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा।"

24. क्योंकि यह साबित हो गया है कि अपीलार्थी रात में अभियोक्त्री के घर में घुसा था और उसका शील भंग किया था और अपीलार्थी का काम धारा 354 भा.द.वि के तहत दंडनीय पाया गया है, अतः, अपीलार्थी को धारा 450 भा.द.वि के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसके बजाय, वह धारा 456 भा.द.वि के तहत दंड का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. ऊपर दी गई चर्चा को देखते हुए, अपीलार्थी को धारा 450 और 376(1) भा.द.वि के तहत दंड देने को आपस्त करना और उसे धारा 456 और 354 भा.द.वि के तहत दोषी ठहराना सही होगा।

26. जहाँ तक दंड का प्रश्न है, अब अपीलार्थी को धारा 456 और 354 भा.द.वि के तहत दोषी ठहराया जाता है। धारा 456 भा.द.वि के तहत अपराध के लिए, निर्धारित दंड तीन वर्ष तक की हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भा.द.वि की धारा 354 के तहत अपराध के लिए, निर्धारित दंड दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अपराध दिनांक 13-2-2003 को किया गया था, अपीलार्थी को दिनांक 24-2-2004 को दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया, अपील दिनांक 1-3-2004 से लंबित थी और प्रकरण लगभग 9 वर्ष तक लंबित रहा। अपीलार्थी पहले ही 18 दिन की सज़ा काट चुका है। प्रकरण के ऊपर दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे अपीलार्थी को वापस जेल भेजना सही नहीं लगता। मेरा मानना है कि अगर अपीलार्थी को भा.द.वि की धारा 456, 354 के तहत दोषी ठहराते समय, उस पर अधिरोपित कारावास

के दंड को उसके पूर्व से भुगति गई अवधि तक ही सीमित रखा जाए और जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी।

27. परिणामतः, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी पर भा.द.वि की धारा 450 और 376(1) के तहत अधिरोपित दंड को आपस्त किया जाता है। इसके बजाय, अपीलार्थी को भा.द.वि की धारा 456, 354 के तहत दोषी ठहराया जाता है। यद्यपि, अपीलार्थी को दी गई जेल की सज़ा को घटाकर उसके द्वारा पहले ही भुगती सज़ा तक कर दिया जाता है। भा.द.वि की धारा 456 और 354 के तहत हर अपराध के लिए, अपीलार्थी को ₹.5,000/- का जुर्माना भी देना होगा। अपीलार्थी को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया जाता है, ऐसा न करने पर, उसे क्रमशः 3 महीने और 3 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा। पहले से जमा की गई जुर्माने की रकम को आज इस न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने की रकम में समायोजित किया जाएगा। आक्षेपित आदेश का मुआवज़ा वाला हिस्सा बरकरार रखा जाता है। वर्तमान में, अपीलार्थी ज़मानत पर है। उनके जमानत बंध पत्र निरस्त कर दिए गए हैं और प्रतिकर को उन्मोचित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर. एस. शर्मा,

न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By K.RADHIKA